न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 228/2016 **दायरा दिनांक : 06.12.2016**

उनवान

देवीसिंह पिता राय सिंह, जाति राजपूत, निवासी चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— पूजन श्री ठाकुर जी चोरबर्डी ना. बा. जर्ये वली पुजारी मोहनदास पिता बगदूदास, जाति बैरागी, निवासी चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— बादाम बाई पुत्री बगदूदास, जाति बैरागी, निवासी चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— लीला बाई पुत्री बगदूदास, जाति बैरागी, निवासी चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.04.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 177/2016 निर्णय दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चोरबर्डी तहसील गंगधार की खसरा नम्बर 931/1066 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है जबकि अपीलांट उक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं है जबकि विधिवत रूप से काबिज है । विवादित मामले में अधीनस्थ न्यायालय में दावे व जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी और दिनांक 26.04.2016 साक्ष्य वादी के लिये तारीख पेशी नियत थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2016को पत्रावली पेशी पर न लेकर अपीलांट को सूचना के बिना ही पत्रावली दिनांक 17.06.2016 को कैम्प कोर्ट कचनारा में लेकर निर्णीत कर दी और बिना साक्ष्य वादी, प्रतिवादी के रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर दिया एवं अपीलांट के काउंटर क्लेम पर कोई आदेश पारित नहीं किया है जो अवैधानिक है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 931/1066 के पुराने खसरा नम्बर 841 थे और यह आराजी अपीलांट देवी सिंह के भाई चन्दर सिंह को आवंटित हुई थी और नामान्तरकरण नम्बर 92 दिनांक 26.12.1972 से खातेदारी दी गई। चन्दर सिंह ला औलाद फोत हो जाने से अपीलांट चन्दर सिंह का भाई होने के कारण चन्दर सिंह के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है एवं उक्त आवंटित भूमि अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी होने से अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.04.2015 को जवाब दावा व काउंटर क्लेम पेश किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया जो अवैधानिक है । प्रकरण में जो विवादित बिन्दु है उनका निस्तारण साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की साक्ष्य को लेकर तनकीवार

निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतया अवहेलना की है जो पूर्णतया निरस्तनीय है। विवादित आराजी का रेस्पोडेंट खातेदार ही नहीं है ऐसी स्थिति में केवल गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और रेस्पोडेंट का वाद खारिज किये जाने योग्य था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.11.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया, उस पर मनन किया । बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई एवं मनन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपंजीकृत एग्रीमेंट से विवादित आराजी 0.66 हेक्टर पर कब्जा काश्त करना बताया । अपंजीकृत दस्तावेज की कोई विधिक मान्यता नहीं है, जबकि रेस्पोडेंट जमाबंदी में खातेदार दर्ज है । अतः अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में वाद इसी अपंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर लाया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था ।

अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 931/1066 के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । दोनों पक्षों का लिखित जवाब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है । नामान्तरकरण संख्या 1972 दिनांक 26.12.1978 का अंकन इतने वर्षों पश्चात् भी जमाबंदी में नहीं है । अपीलांट द्वारा इतने लम्बे समय तक इस कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं किया जाना तर्क संगत नहीं है । रेस्पोडेंट द्वारा बेदखली का दावा जाने पर ही काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है । अतः अपीलांट अपना पक्ष सिद्ध करने में असफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा